न्यायालय :- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारी : विजय कोचर, आर.जे.एस.

नम्बरी दीवानी संख्या : 40/2019(46/2015)
CNR Reg.No. : RJJH130001742019

महेन्द्र सैनी पुत्र जमनाराम सैनी, उम्र 48 साल, निवासी ग्राम बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)

--वादी

ब ना म

1. नागरमल सैनी पुत्र पन्नाराम सैनी, उम्र 60 साल, निवासी ग्राम बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)
2. सत्यकुमार तानेनिया पुत्र कुरड़ाराम, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)

--प्रतिवादीगण

प्रतिनिधित्व :-

1- अधिवक्ता श्री बृजमोहन सैनी, वास्ते वादी।
2- अधिवक्ता श्री कुरड़ाराम सैनी, वास्ते प्रतिवादी संख्या 1
3- अधिवक्ता श्री यतेन्द्र सिंह शिखावत, वास्ते प्रतिवादी संख्या 2

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

----------X-----------------X-------------X--------

नम्बरी दीवानी संख्या : 27/2017

CIS Reg.No. : 27/2017

महेन्द्र सैनी पुत्र जमनाराम सैनी, उम्र 48 साल, निवासी ग्राम बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)

--वादी

ब ना म

1. सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)
2. ग्राम सेवल एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत बड़ागांव पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)

--प्रतिवादीगण

प्रतिनिधित्व :-

1- अधिवक्ता श्री बृजमोहन सैनी, वास्ते वादी।
2- अधिवक्ता श्री यतेन्द्र सिंह शिखावत, वास्ते प्रतिवादी।

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

-निर्णय- **दिनांक-09.04.2026**

1. वादी महेन्द्र सैनी ने ग्राम बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी में स्वयं के अभिकथित पट्टेशुदा भूखंड पर सड़क बनाए जाने के कार्य को रूकवाने तथा दावे के लंबित रहते कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई सड़क को हटवाने के अनुतोष के लिए प्रतिवादीगण नागरमल सैनी व सत्यकुमार तानेनिया के विरुद्ध दीवानी वाद संख्या 46/15 पेश करने के पश्चात समान विषयवस्तु पर आधारित समान अनुतोष के लिए सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत बड़ागांव के विरुद्ध एक पृथक दीवानी वाद संख्या 27/17 पेश किया जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.09.2017 द्वारा प्रथम वाद में समेकित कर दिया गया। यह निर्णय वादी द्वारा पेश उक्त वर्णित दोनों दावों को समेकित रूप से निस्तारित करते हुए लिखवाया जा रहा है।

2. स्वयं द्वारा पेश प्रथम वाद, जिसे न्यायालय में वाद संख्या 46/15 के रूप में दर्ज किया गया है, में वादी ने यह जाहिर किया है कि वादी की पट्टेशुदा भूखंड ग्राम बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी में अवस्थित हैं। वादी के पट्टेशुदा भूखंड का नाप एवं चतुर्थी सीमा इस प्रकार से हैं:- मप :- उत्तरी व दक्षिणी भुजा (पूर्व से पश्चिम) 45 फीट, पूर्वी व पश्चिमी भुजा (उत्तर से दक्षिण) 45 फीट हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2025 वर्ग फीट अर्थात 225 वर्ग गज हैं तथा चतुर्थी सीमाः- पूर्व में सीताराम का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में नागरमल की खाली भूमि, दक्षिण में बजरंग चमार का मकान। वादी ने अपने उक्त भूखण्ड को दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में "ए से बी" बिन्दु से दर्शाया है, नजरी नक्शा वाद पत्र का ही भाग हैं। वादी ने अपने पट्टेशुदा भूखंड में एक टेण शेड भी बना रखा है। जिसमें वादी अपने पशु मवेशी बांधता है, व पशुओं का चारा भी भूखंड में बने टेण शेड में डाल रखा है। वादी को उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत बड़ागांव द्वारा दिनांक 20.09.2000 को दिया गया था, जिसके पट्टा संख्या 79 हैं। उक्त पट्टे का पंजीयन भी उप पंजीयक उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 26.09.2000 को वादी के पक्ष में किया गया था। वादी की पट्टेशुदा भूमि में से कभी भी कोई रास्ता प्रतिवादी नंबर 1 व अन्य किसी का नहीं रहा हैं। न ही आज मौके पर मौजूद है। लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 व 2 वादी की उक्त पट्टेशुदा भूमि में से रास्ता डाल कर उसमें सीमेंटेड सड़क डालने को आमादा है। इस नीयत से उक्त प्रतिवादीगण दिनांक 05.06.2015 को अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर पुलिस बल सहित वादी के पट्टेशुदा भूखंड के पास आये, व भूखंड में से जबरन रास्ता निकालने को आमादा हुये, लेकिन उक्त दिन को वादी ने आसपास के मौजिज लोगों को इकट्ठा कर उक्त लोगों को रास्ता निकालने से रोक दिया, लेकिन जाते समय उक्त प्रतिवादीगण ने सरेआम वादी को धमकी दी है कि वे वादी की उक्त पट्टेशुदा भूमि में से जबरन रास्ता निकालेंगे। यदि वादी ने अबकी बार उन्हें रास्ता निकालने से रोका, तो वे वादी पर झूठा मुकदमा बनाकर उसे जेल भिजवा देंगे। वादी अपनी पट्टेशुदा भूखंड पर पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से प्रतिवादीगण की जानकारी में शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। कभी भी उक्त पट्टेशदा भूखंड बाबत पूर्व में कभी कोई विवाद भी नहीं हुआ है। वादी ने अपने पट्टेशुदा भूखंड में टीन शेड बना रखा है। प्रतिवादीगण को वादी के पट्टेशुदा भूखण्ड में से जबरन रास्ता निकालने व सड़क बनाने तथा उक्त भूखंड में बने टेन शेड को तोड़ने का कोई किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है।

लेकिन उक्त प्रतिवादी नंबर 2 जो वर्तमान में सरपंच भी हैं, राजनैतिक द्वेषता के कारण अपने समर्थक प्रतिवादी नंबर 1 को लाभ पहुँचाने के लिए जबरन अवैध, अनुचित व गैरकानूनी रूप से वादी के पट्टेशुदा भूखंड में से रास्ता निकला कर सड़क बनाने को आमादा है। यदि उक्त प्रतिवादीगण अपनी मंशा में सफल हो गये, तो वादी को अनावश्यक मुकदमा बाजी में फंसना पड़ेगा तथा वादी का काफी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति भी किसी कदर संभव नहीं होगी, इस कारण वादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हैं। प्रतिवादी नंबर 1 नागरमल व प्रतिवादी नंबर 2 सत्यकुमार तानेनिया का एक चहेता व्यक्ति है, और वह प्रतिवादी नंबर 1 को नाजायज रूप से फायदा उपलब्ध करवाने के लिए वादी के पट्टेशुदा भूखंड में से जबरन रास्ता उपलब्ध कराना चाहता था, जैसा कि वादी के भूखंड के दक्षिण में होकर झुंझुनूं उदयपुरवाटी मुख्य सड़क गुजरती है, और मुख्य सड़क से उत्तर की ओर एक रास्ता वादी के भाई सीताराम के मकान तक व वादी के भूखण्ड ए, बी, सी, डी भाग तक जाता है। वादी के भूखण्ड के आगे कोई रास्ता नहीं हैं। प्रतिवादी नंबर 1 नागरमल वादी के भूखंड जो नजरी नक्शा में दर्शाये गये ए, बी, सी, डी भाग में आगे उत्तर में क्रोस करते हुए सीधा प्रतितादी नंबर 1 की कृषि भूमि में रास्ता निकालना चाहता है। जबकि नागरमल के खेत में इधर से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रतिवादी नंबर 1 के खेत में जाने के लिए दावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में जो वादी के भूखंड व सीताराम के मकान में मुख्य सड़क से उत्तर में जो रास्ता चलता है, उसमें पूर्व में एक रास्ता फटकर जो आगे उत्तर में होते हुए प्रतिवादी नंबर 1 नागरमल व नरसाराम के खेत में गुजरता हैं। इस रास्ते में सीसी सड़क भी बनी हुई हैं। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 1 के पास पूर्व में रास्ता उपलब्ध हैं, परन्तु प्रतिवादी नंबर 2 सत्यकुमार जो वर्तमान में ग्राम पंचायत का सरपंच है, वह वादी के परिवार व भाई सीताराम से द्वेषता रखता हैं, क्योंकि वादी का भाई सीताराम प्रतिवादी नंबर 2 की पंचायत चुनावों में विरोध करने के कारण व उसके पक्ष में मतदान नहीं करने से वह उससे द्वेषता रखता हैं और वह प्रतिवादी नंबर 1 को फायदा पहुंचाने की नीयत से वादी के भूखंड से सीधा रास्ता उपलब्ध करवाना चाहता था और जो दिनांक 23.02.2018 को ग्राम पंचायत की राशि का दुरुपयोग करते हुए वादी को क्षति पहुंचाने की नीयत से वादी के भूखण्ड में बनी टीन शेड को तोड़कर उसमें जबरन सीसी सड़क डालकर आगे उत्तर में प्रतिवादी नंबर 1 के खेत में रास्ता निकाल दिया जबकि प्रार्थी/वादी ने ग्राम पंचायत बड़ागांव से दिनांक 20.09.2000 को पट्टा संख्या 79 बनवा कर उप पंजीयक उदयपुरवाटी से दिनांक 26.09.2000 को पंजीकृत करवा लिया गया। इसलिए वादी के इस पट्टे पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता, जो उसका वैध टाईटल हैं। सरपंच ग्राम पंचायत सत्यकुमार तानेनिया यह सब जानता था कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में वादी के हक में पट्टा जारी किया है और उसका रजिस्ट्रेशन भी ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया है और सत्यकुमार यहह भी जानता था कि वादी के भूखण्ड में से कोई रास्ता नहीं है और उसे जबरन किसी के भूखण्ड से रास्ता निकालने का अधिकार नहीं है। उक्त सभी तथ्यों की जानकारी रखते हुए भी उसने अवैध तरीके से ग्राम पंचायत की राशि व मशीनरी का अवैधपूर्वक दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी/वादी के भूखण्ड में से जबरन रास्ता निकाल कर और उसके भूखण्ड में लगे टीनशेड को तोड़कर भूखण्ड के बीच में से रास्ता प्रतिवादी नंबर 1 के खेत में मिलाया है, उसका यह कृत्य बहुत ही दोषपूर्ण व अवैधपूर्ण कृत्य हैं, जिससे वादी को बड़ी मानसिक व आर्थिक ठेस पहुंची है, जिसकी क्षतिपूर्ति नकद में पूर्ति नहीं की जा सकती। जैसा कि उक्त सत्यकुमार पूर्व में भी दिनांक 05.06.2015 को वादी के भूखण्ड में जबरन रास्ता निकालने की कोशिश की थी,

इसलिए यह दावा पेश किया था और इसके बाद भी उसने दिनांक 16.02.2017 को फिर जबरन रास्ता निकालने का प्रयास किया, परन्तु उस समय सत्यकुमार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। बाद में श्रीमान् के न्यायालय में दिनांक 16.02.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सख्या 35/15 खारिज होने पर उसने गलत मानसिकता से द्वेष भावना से प्रेरित होकर वादी को क्षति पहुंचाने व प्रतिवादी नंबर 1 को नाजायज फायदा पहुंचाने की नीयत से दिनांक 23.02.2018 को यह जबरन रास्ता निकाला हैं। जैसा कि अस्थाई निपेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 35/15 में दिनांक 22.12.2016 को कमिश्नर ने विवादित स्थल की मय नक्शा रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, उसमें भी प्रतिवादी नंबर 1 के खेत में आने जाने के लिए अलग से रास्ता दर्शाया हैं। जैसा कि कमिश्नर रिपोर्ट में 'ग' से सीसी सड़क निकलती हैं, जो 'घ' तक जाकर समाप्त हो जाती हैं। बिन्दु 'घ' से नक्शा में दर्शाये सामलाती कुएं व नागरमल की जमीन में जाने के लिए सामलाती रास्ता मौजूद है। इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि प्रतिवादी नंबर 2 सत्यकुमार ने वादी के भूखंड में से 50 फीट लंबी व 8 फीट चौड्री जबरन टीनशेड को तोड़कर कंकरीट व सीमेंट डालकर जो अवैध रूप से रोड़ निकाली हैं, उसको प्रतिवादी के खर्चे पर तुड़वाकर वादी के भूखंड का खुलासा करवाया जावे, और इसी प्रकार उक्त वाद पत्र के अनुतोष में भी अन्य अनुतोष इस प्रकार जोड़ा जावें।

3. अपने वादपत्र में किए गए उक्त आशय के अभिकथनों एवं अन्य अभिकथनों के आधार पर वादी उक्त वर्णित समेकित किए गए दोनों दावों के प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय का अनुतोष चाहता है कि वह वादी के पट्टेशुदा भूखंड जिसे संलग्न नजरी नक्शे में ए, बी, सी, डी बिन्दु से दर्शाया गया है में से कोई रास्ता न डाले, न ही कोई सड़क बनावे एवं न ही वादी के भूखंड में बने टीन शेड को तोड़े व वादी के पट्टेशुदा भूखंड पर वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न डाले। वादी ने स्वयं के द्वारा पेश संशोधित दावे में अपने वाद के लंबित रहते प्रतिवादीगण द्वारा उसके भूखंड पर से सड़क निकाल दिए जाने का अभिकथन करते हुए उनके विरुद्ध इस आशय का अनुतोष भी चाहा है कि वह स्वयं द्वारा 8 फुट चौड़ी व 50 फुट लंबी बनायी गई सीसी सड़क को अपने खर्चे से तुड़वाकर वादी के भूखंड को खाली करें।

4. वादी के द्वारा पेश उनवानी वाद संख्या 46/15 के प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा प्रारंभिक तौर पर प्रस्तुत दावे का जवाब पेश नहीं किया है एवं न ही वादी द्वारा पेश संशोधित दावे का जवाब पेश किया है। इन प्रतिवादीगण के अथवा उनकी ओर से किसी अधिवक्ता के न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं होने की वजह से उनके विरुद्ध दिनांक 29.11.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा पेश प्रारंभिक दीवानी वाद संख्या 46/15 के साथ समेकित दीवानी वाद संख्या 27/17 के प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी के दावे का जवाब पेश नहीं किया गया है तथा न्यायालय के नोटिस के बावजूद उनके न्यायालय के समक्ष उपसंजात न होने की वजह से उनके विरुद्ध भी दिनांक 02.04.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

5. वादी की ओर से एकपक्षीय तौर पर पेश साक्ष्य में स्वयं वादी महेन्द्र सैनी पी डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा उसकी ओर से एक अन्य गवाह सीताराम सैनी पी डब्ल्यू 3 के रूप में परीक्षित हुआ है। वादी की साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजात साक्ष्य में पेश किए गए:-

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श 01	पट्टा संख्या 79
02	प्रदर्श 02	पंजीकृत विक्रय विलेख आबादी भूमि दिनांक 26.09.2000
03	प्रदर्श 03	रसीद संख्या 31/3
04	प्रदर्श 04	फर्द मौका रिपोर्ट
05	प्रदर्श 05	मौका कमिश्नर द्वारा तैयार नजरी नक्शा
06	प्रदर्श 06	मौका कमिश्नर रिपोर्ट

6. वादी महेन्द्र सैनी ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में कमोबेश अपने वादपत्र के अभिकथनों की पुनरावृत्ति की है तथा उसकी ओर से परीक्षित गवाह सीताराम सैनी पी डब्ल्यू 2 ने भी अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में कमोबेश वादी के दावे की पुष्टि करते हुए जाहिर किया है कि उसके शपथ पत्र में वर्णित आसोपासो के 45 फुट गुणा 45 फुट क्षेत्रफल के भूखंड का पट्टा ग्राम पंचायत बड़ागांव द्वारा दिनांक 20.09.2000 को उसके भाई महेन्द्र सैनी को दिया गया था तथा उप पंजीयक उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 26.09.2000 इनका पंजीयन किया गया था, इस पट्टेशुदा भूभाग में से प्रतिवादी संख्या 1 नागरमल अथवा किसी अन्य का रास्ता न तो कभी मौजूद रहा है एवं न ही वर्तमान में मौजूद है लेकिन वह लोग इस भूमि में से रास्ता निकालकर सीसी सड़क डालने पर आमादा हैं। इस गवाह के अनुसार तत्कालीन सरपंच प्रतिवादी संख्या 2 सत्यकुमार ने राजनैतिक द्वेषता की वजह से अपने समर्थक प्रतिवादी संख्या 1 नागरमल को लाभ पहुंचाने के लिए गवाह के भाई के पट्टेशुदा भूखंड में रास्ता निकालकर सड़क बनाने का प्रयास किया। प्रतिवादी संख्या 2 सत्यकुमार ने प्रतिवादी संख्या 1 नागरमल को फायदा पहुंचाने की नीयत से गवाह के भाई के भूखंड में से उसके टीन शेड को तोड़कर पंचायत राशि का दुरुपयोग करते हुए दिनांक 23.02.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 नागरमल के खेत में जाने का रास्ता निकाल दिया।

7. उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में जाहिर करता है कि उक्त सत्यकुमार पूर्व में भी दिनांक 05.06.2015 को महेन्द्र सैनी के उक्त भूखंड में से जबरन रास्ता निकालने की कोशिश की थी, इसलिए यह दावा पेश किया था, उसके बाद भी उसने दिनांक 16.02.2017 को फिर जबरन रास्ता निकालने का प्रयास किया, परन्तु उस समय सत्यकुमार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। इसके बाद में श्रीमान के न्यायालय में दिनांक 16.02.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 35/15 खारिज होने पर उसे गलत मानसिकता से द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसके भाई महेन्द्र सैनी को क्षति पहुंचाने व प्रतिवादी नंबर 1 नागरमल को नाजायज फायदा पहुंचाने की नीयत से दिनांक 23.02.2018 को यह जबरन रास्ता निकाला हैं। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 35/15 में दिनांक 22.12.20216 को मौका कमिश्नर ने विवादित स्थल की मय नक्शा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 नागरमल के खेत में आने जाने के लिए अलग से रास्ता दर्शाया हैं। जैसा कि कमिश्नर रिपोर्ट में "ग" से सीसी सड़क निकलती हैं, जो "घ" तक जाकर समाप्त हो जाती हैं। बिन्दु "घ" से नक्शा में दर्शाये सामलाती कुएं व नागरमल की जमीन में जाने के लिए सामलाती रास्ता मौजूद हैं। प्रतिवादी नंबर 2 सत्यकुमार ने उसके भाई महेन्द्र सैनी के उक्त भूखंड में से 50 फीट लंबी व 8 फीट

चौड़ी जबरन टीनशेड को तोडकर कंकरीट व सीमेंट डालकर जो अवैध रूप से रोड़ निकाली हैं, उसको प्रतिवादीगण के खर्चे पर तुड़वाया जाकर भूखण्ड से अवैध अतिक्रमण हटवाया जावे।

8. वादी महेन्द्र सैनी द्वारा पेश किए गए दोनों ही दावों के जवाब संबंधित प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किए गए हैं एवं न ही प्रतिवादीगण अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत किसी अधिवक्ता द्वारा वादी एवं उसके गवाह से प्रतिपरीक्षण ही किया गया है। इन परिस्थितियों में न्यायालय के विनम्र मत में स्वयं द्वारा पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी महेन्द्र सिंह एवं दोनों ही दावों से सबंधित प्रतिवादीगण के विरुद्ध अपना दावा साबित करने में सफल रहता हुआ प्रतीत होता है तथा स्वयं द्वारा चाहे गए अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी भी प्रतीत होता है। लिहाजा यह न्यायालय वादी महेन्द्र सैनी द्वारा पेश वाद संख्या 46/2015 एवं 27/2017 संबंधित प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय तौर पर स्वीकार करना उचित समझता है।

<u>--आदेश--</u>

9. वादी महेन्द्र सैनी द्वारा पेश वाद संख्या 46/2015 एवं 27/2017 संबंधित प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय तौर पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है किः-

1. प्रतिवादीगण ग्राम बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी में स्थित वादी के वादग्रस्त पट्टेशुदा भूखंड में से कोई रास्ता कायम न करें एवं न ही किसी प्रकार की सड़क निकालें एवं न ही इस वादग्रस्त भूखंड जिसके पट्टे संख्या 79 है, पर वादी के कब्जे एवं उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी करें।
2. प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा पेश दावों के लंबन काल में वादी के वादग्रस्त पट्टेशुदा भूखंड पर बनाई गई सड़क को अपने खर्चे से तुड़वावे।

10. वाद व्यय पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब कर जारी किया जावे।

(विजय कोचर)

11. निर्णय आज दिनांक 09 अप्रैल, 2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कोचर)